न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 15/2013

1 ईदू (मृत)
1/1 राबिया स्त्री स्व. ईदू
1/2 सलीम पुत्र स्व. ईदू
1/3 जहीर पुत्र स्व. ईदू
1/4 उस्मान पुत्र स्व. ईदू
1/5 बाबू खां पुत्र स्व. ईदू
1/6 तस्लीम पुत्र स्व. ईदू
1/7 अब्दुल हमीद पुत्र स्व. ईदू
1/8 मोहम्मद रफीक पुत्र स्व. ईदू
2 बफाती पुत्र नाथा (मृत)
2/1 जुबेदा बानो स्त्री स्व. बफाती
2/2 इकबाल पुत्र स्व. बफाती
2/3 असलम पुत्र स्व. बफाती
2/4 ईस्लाम पुत्र स्व. बफाती
2/5 शकील पुत्र स्व. बफाती
2/6 हरून पुत्र स्व. बफाती
2/7 फिरोजा बानों पुत्री स्व. बफाती
2/8 शमीम बानो पुत्री स्व. बफाती
समस्त जाति तेली निवासीगण वार्ड नम्बर 21 खण्डेला जिला सीकर राज.
।

अपीलांट्स

बनाम

1 नूरा (मृत)
1/1 हाजरा स्त्री नूरा उर्फ नूरदीन
1/2 इस्लाम पुत्र नूरा उर्फ नूरदीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

1/3 महबूब पुत्र नूरा उर्फ नूरदीन
1/4 इकबाल पुत्र नूरा उर्फ नूरदीन
1/5 मदार पुत्र नूरा उर्फ नूरदीन
1/6 सलीम उर्फ लाला पुत्र नूरा उर्फ नूरदीन
समस्त जाति मुसलमान तेली निवासीगण मण्डी गेट के पास खण्डेला वार्ड नम्बर 10 तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
1/7 राबिया पुत्री नूरदीन स्त्री हाजी शोकत जाति मुसलमान तेली निवासी खेत मोहल्ला पुरानी रांची रांची झारखण्ड।
1/8 मुन्नी पुत्री नूरा स्त्री सलीम कबाडी जाति मुसलमान तेली निवासी खेत मोहल्ला पुरानी रांची रांची झारखण्ड।
1/9 बानो पुत्री पूरा स्त्री उस्मान जाति मुसलमान तेली निवासी निवारू रोड़ नम्बर 7 मदीना मस्जिद के पास झोटवाड़ा जयपुर।
1/10 नजमा पुत्री पूरा जाति मुसलमान तेली स्त्री नामालूम निवासी भट्टा बस्ती जयपुर।
2 इब्राहीम पुत्र
2/1 उमरदीन पुत्र इब्राहीम जाति मुसलमान तेली निवासी वार्ड नम्बर 10 खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।
2/2 सुगरा उर्फ लादूड़ी बेवा इब्राहीम जाति मुसलमान तेली निवासी खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।
3 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर सीकर।
4 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5 अनवर पुत्र कादर
6 कासम पुत्र कादर
समस्त जाति मुसलमान तेली निवासीगण गुढा पोंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.04.2007 न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला सीकर बसिलसिले दावा सं. 213/1997 बी.टी. 534/1999 उनवानी नूरा आदि बनाम राज. सरकार आदि दावा बाबत इस्तकरार हक एवं दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड अपील अ. धारा 223 राज. टिनेन्सी ए.

उपस्थिति :

1. श्री लक्ष्मण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विद्याधर सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील ... सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 29/9/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 213/1997 में पारित निर्णय दिनांक 16.04.2007 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्टस ने एक वाद उद्घोषणा व दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड बाबत भूमि खसरा नम्बर 2001, 2002, 2005, 2006, 2007 वाके ग्राम मेहरा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित आराजियात वर्तमान खसरा नम्बर 2001, 2002, 2005, 2006, 2007 किता 5 कुल रकबा 1.66 है. अपीलान्टान के पिता नाथा पुत्र कादर जाति तेली निवासी वार्ड नम्बर 16 खण्डेला के खाते व काश्त की भूमि है। जिसकी खातेदारी वक्त सेटलमेंट से अपीलान्ट के पिता के हक में अंकित चली आ रही है व इसी मुताबिक मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर खसरा गिरदावरी इन्द्राज भी निरन्तर अपीलान्टान के पिता के हक में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अंकित चले आ रहे है। वादीगण/रेस्पोडेन्टान संख्या 01 व 2 ने अपीलान्ट को जानबुझकर बदनियति से दावे में पक्षकार नहीं बनाया है जो जरूरी पक्षकार है। विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदारी के आधार पर अपीलान्टान के पिता नाथा पुत्र कादर जाति तेली निवासी खण्डेला का दावे में पक्षकार बनवाकर उसके सम्मन नोटिस जारी करने की आज्ञा न देने में गलती की है तथा अपीलान्टान को जवाब दावा प्रस्तुत करने का व उनका कथन व साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिए बिना ही निर्णय जैर अपील पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय व न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है। नाथू पुत्र सायबा जाति तेली व नाथा पुत्र कादर जाति तेली नाम के दो अलग अलग व्यक्ति कस्बा खण्डेला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में थे। नाथू पुत्र सायबा वादीगण/रेस्पाडेन्टान सं. 01 व 2/1, 2/2 का पिता व दादा थात था नाथा पुत्र कादर अपीलान्टान का पिता था। अपीलान्टान के पिता नाथा पुत्र कादर का देहान्त करीब 22 साल पहले हुआ था जबकि रेस्पोडेन्ट के पिता व 2/1, 2/2 के दावा को देहान्त करीब 35–40 वर्ष पहले हुआ था। वादीगण/रेस्पोडेन्टान 1 व 2/1 व 2/2 के पिता नाथु पुत्र सायबा उर्फ सायला उर्फ श्यामला के खातेदारी की भूमि गत खसरा नम्बर 1750 रकबा 2 बीघा पुख्ता तन खण्डेला है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 3894 रकबा 0.64 है. तन खण्डेला है व अपीलान्टान के पिता नाथ पुत्र कादर के खातेदारी की भूमि खसरा नमबर 1008 रकबा 7 बीघा 9 बिश्वा तन खण्डेला है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 2001, 2002, 2005, 2006, 2007 कुल किता 5 कुल रकबा 1.66 है. तन खण्डेला है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। विवादित आराजियात वर्तमान खसरा नम्बर 2001, 2002, 2005, 2006, 2007 कुल किता 5 कुल रकबा 1.66 हैक्टेयर तन खण्डेला अपीलान्टान की पैतृक भूमियां है जो उन्हें उनके पिता की मृत्यु होने पर विरासत में प्राप्त हुई है। निर्णय जैर अपील दिनाकं 16.04.2007 से अपीलान्टान के हितों पर विपरित प्रभाव पड़ता है अतः अपीलान्टान को अपने हितो की रक्षा के लिए इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करना जरूरी व आवश्यक है जिसकी स्वीकृति देने की प्रार्थना है। अपील प्रस्तुत करने की इजाजत हेतु अपीलान्टान आवेदन पत्र अ. धारा 96 सीपीसी मय शपथ पत्र साथ पेश है। अपीलान्टान की दो बहिने बतुल व मरियम थी जिनमें से मरीयम सन 1947 में पाकिस्तान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

चली गई व दूसरी बहिन बतुल जो ग्राम गुढ़ा पोंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं कादर के साथ ब्याही गई थी बतुल व उसके पति का देहान्त हो गया जिनके पुत्र अनवर व कासम अपील में शामिल नही हो सके है अतः उन्हें रेस्पोडेन्टान संख्या 5 व 6 बनाये गये है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला का निर्णय दिनाक 16.04.2007 निरस्त फरमाया जावे तथा रेस्पोडेन्टान सं. 1 व 2/1, 2/2 का दावा खारिज फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2007 के विरूद्ध दिनांक 07.02.2013 को धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपील 6 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नाथू उर्फ नाथा जाति तेली के पुत्र होने के आधार पर प्रस्तुत की है। विचारण न्यायालय ने वाद नाथू उर्फ नाथा के पुत्र नूरा एवं इब्राहीम की ओर से प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट का विवादित भूमि में न तो कब्जा है, न हक अधिकार है एवं न ही खातेदारी अपीलान्ट के नाम दर्ज रही है। अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलान्ट द्वारा अपनी पहचान के संदर्भ में सम्यक दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील धारा 5, धारा 96 एवं गुणावगुण पर खारिज योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2024 एससी पेज 3961, आरबीजे 2022 पेज 29 व सीजे सिविल 2016(1) राज पेज 1192 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। अपीलान्ट को विचाराधीन निर्णय की पूर्व से जानकारी हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

प्रस्तुत अपील धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नाथू उर्फ नाथा जाति तेली के पुत्र होने के आधार पर प्रस्तुत की है। विचारण न्यायालय ने वाद नाथू उर्फ नाथा के पुत्र नूरा एवं इब्राहीम की ओर से प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की वल्दीयत, अधिकारों के संदर्भ में निर्णय अपीलान्ट को सुनकर किया जा सकता है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट पक्षकार नहीं थे। अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट प्रथम दृष्टया प्रभावित पक्षकार होना प्रकट होते है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने अपील मेमों में वंशावली प्रस्तुत कर कथन किया है कि नाथू पुत्र सायबा जाति तेली व नाथा पुत्र कादर जाति तेली नाम के दो अलग अलग व्यक्ति कस्बा खण्डेला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में थे। नाथू पुत्र सायबा वादीगण/रेस्पाडेन्टान सं. 01 व 2/1, 2/2 का पिता व दादा थात था नाथा पुत्र कादर अपीलान्टान का पिता था। अपीलान्टान के पिता नाथा पुत्र कादर का देहान्त करीब 22 साल पहले हुआ था जबकि रेस्पोडेन्ट के पिता व 2/1, 2/2 के दावा को देहान्त करीब 35–40 वर्ष पहले हुआ था। वंशाावली के अनुसार मूल पुरूष कादर के अलीदीन व नाथा वारिस हुए थे। नाथा के अपीलान्ट ईदू व बफाती वारिसान है। नाथा की पुत्री बतूल के रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 अनवर व कासम हुए। विचारण न्यायालय में वादीगण नूरा व इब्राहिम सायबा के पुत्र नाथू के वारिसान है। इस प्रकार वादीगण व अपीलांट के पिता नाम नाथा/ नाथू होने का फायदा उठाकर विचाराधीन वाद प्रस्तुत किया गया।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है पत्रावली के अनुसार वादीगण/रेस्पोडेन्टान 1 व 2/1 व 2/2 के पिता नाथु पुत्र सायबा उर्फ सायला उर्फ श्यामला के खातेदारी की भूमि गत खसरा नम्बर 1750 रकबा 2 बीघा पुख्ता तन खण्डेला है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 3894 रकबा 0.64 है. तन खण्डेला है व अपीलान्टान के पिता नाथ पुत्र कादर के खातेदारी की भूमि खसरा नमबर 1008 रकबा 7 बीघा 9 बिश्वा तन खण्डेला

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 2001, 2002, 2005, 2006, 2007 कुल किता 5 कुल रकबा 1.66 है. तन खण्डेला है।

ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण का निर्णय विचारण न्यायालय में अपीलान्ट का जवाब दावा प्रस्तुत होने पर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर ही किया जा सकता है। फलतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित कर जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 29/9/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर